9/7/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर। आवेदन पत्र बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को पारित किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पत्र सलग्न किया गया। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को पारित किया जाता है कि ग्राम मुली प.स. मुली के खसरा नम्बर 321, 323 व 330, 334 व 338 का रिकार्ड की यथास्थिति मूल दावा के निस्तारण तक बनाये रखें। पत्रावली

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
| --- | --- |
| | फैसला सुनाया होकर नम्बर से कम होकर मुलवाद के शामिल हो। [illegible] |